आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

विविध वाद संख्या– 05/2018–19

राज्य सरकार
–बनाम–
फौजी लाल वगै0

–: आदेश :–

21.06.2022

प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय के पत्रांक– 17/रा0, दिनांक– 04.01.2019 द्वारा प्राप्त हुआ है। यह ममला साहेबगंज खासमहल अंतर्गत मौजा– छोटा बेतौना, थाना– नं0– 28, जमाबंदी/होल्डिंग नं0– 223 एवं 56 के विभिन्न दागो के 5 एकड़ 7.55 डिसमील भूमि प्रधानमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने एवं भू–खंड को पुनग्रहण करने का अनुरोध किया गया है।

खासमहल मैनुवल एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड, राँची के संकल्प द्वारा खासमहल के संबंध में निदेशित प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित भू–खंड पुनर्ग्रहण हेतु लीजधारियों के साक्ष्य के साथ पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण (लीजधारियों) नोटिस निर्गत की गई है। साथ ही नोटिस की सूची दैनिक सामाचार पत्र में प्रकाशित की गई। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

विपक्षी की ओर से चन्दशेखर प्रसाद सिन्हा, पिता– स्व0– गुंजेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं विपक्षी सं0– 05 लक्ष्मी नारायण यादव उपस्थित।

सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित।

खासमहल पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के पत्रांक– 436/रा0, दिनांक– 27.06.2018 द्वारा निदेशक नगर विकास एवं आवास, नगरीय प्रशासन निदेशालय, झारखंड, राँची के ज्ञापांक– 03/नि0प्र0निर0/PMAY/Land Demarcation/182/2017 में प्रधानमंत्री योजना आवास (शहरी) भारत सरकार के अति महत्वपूर्ण आवासीय योजना अंतर्गत वर्ष 2022 तक सभी शहरी गरीब आवास विहिन लाभुको को आवास उपलब्ध कराये जाने के क्रम में प्रथम घटक अंतर्गत लाभुको को आवास निर्माण हेतु साहेबगंज नगर परिषद् द्वारा भू–खंड चिन्हित किया गया है, जो पूर्णतः परती एवं खाली भूमि है, उसपर किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

भूमि का विवरण:–

क्र0 सं0	मौजा का नाम	दाग नं0	जमाबंदी नं0	कुल रकवा (एकड़–डिसमल)	वांछित रकवा (एकड़–डिस्मल)	दखलकार का नाम	जमीन का किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छोटा बेतौना (खासमहल)	131	223	00–75.5	00–75.5	फौजीलाल सिन्हा, पिता– दगडीलाल सिंह	धानी–I
2	छोटा बेतौना (खासमहल)	142	223	00–60.0	00–60.0	फौजीलाल सिन्हा, वगै0, पिता– दगडीलाल सिंह	धानी–II
3	छोटा बेतौना (खासमहल)	143	223	03–15.0	01–86.30	फौजीलाल सिन्हा, पिता– दगडीलाल सिंह	धानी–I

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

4	छोटा बेतौना (खासमहल)	145	223	00–60.5	00–60.5	फौजीलाल सिन्हा, पिता– दगडीलाल सिंह	धानी–I
5	छोटा बेतौना (खासमहल)	146	223	00–62.25	00–62.25	फौजीलाल सिन्हा, पिता– दगडीलाल सिंह	धानी–I
6	छोटा बेतौना (खासमहल)	141	56	00–63.0	00–63.0	लक्ष्मीनारायण यादव व राम नारायण यादव, पिता– राम किशुन यादव	धानी–II
कुल रकवा				06–36.25	05–07.55	5 एकड़ – 7.55 डिस्मल	

संबंधित भूमि को अधिग्रहित कर शहरी क्षेत्र के गरीब को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु खासमहल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सारी प्रक्रिया पूर्ण कर अपर समाहर्त्ता के माध्यम से उपायुक्त (अधोहस्ताक्षरी) के न्यायालय में सुनवाई हेतु भेजी गई।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि खासमहल मौजा– छोटा बेतौना, थाना नं0– 28 के भिन्न 2, जमाबंदी एवं भिन्न 2 दागो को जो भिन्न 6 एकड़ 36.25 डिसमिल भूमि है। जो विपक्षीगण के दखल कब्जे में है। उक्त भूमि का पर्चा भी है एवं सरकार को लगान भी देते है। जिसका रसीद भी विपक्षी के पास उपलब्ध है। उक्त भूमि विपक्षी के जीविकोर्पाजन का एक मात्र साधन है। प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य होता है। जिससे अनाज की प्राप्ति होती है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विपक्षी को भूमि पुन ग्रहण को लेकर कोई नोटिस प्राप्त नहीं है, साहेबगंज नगर परिषद के स्तर से चिन्हित भूमि के हिस्से द्वारा कोई पूर्व में कोई नोटिस नहीं दी गई है। यह प्राकृतिक न्याय की अवहेलना का उदाहरण है। इस आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य है। आगे उन्होने अपने पक्ष में यह भी तर्क दिये कि खासमहल पदाधिकारी के न्यायालय में आपत्ति के हैसियत से अपना पक्ष रखते हुए कहा (पारा–3) कि विपक्षी सं0– 1 आपस में चचेरा भाई है। हम चारो भाईयो का अनाज वांछित खेतो से आता है। नोटिस में वर्णित भूमि पूर्व लीजधारी फौजीलाल सिन्हा, पिता– बडा दमड़ी लाल सिन्हा बताया गया है। सरकार के पास यदि फौजी लाल सिन्हा के नाम का लीज से संबंधित कागजात यदि है तो न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर विवेचना किया जा सकता था, परन्तु आज तक कोई कागजात न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। जबकि विपक्षी के द्वारा आपनी भूमि से संबंधित रैयती पर्चा की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

आगे उन्होने यह भी कहा कि वर्त्तमान समय में शहरी आवास योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए दूसरे जगह पर निर्माण किया जा रहा है।

उन्होने कारण पृच्छा स्वीकार करते हुए वाद की अग्रेतर कार्यवाही समाप्त करने के लिए अनुरोध किया गया है।

सरकार की ओर से सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी कहा गया कि विपक्षीगण के पास प्रश्नगत भूमि का रैयती पर्चा दाखिल किया गया है। अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भी विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम से है। नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अपना पक्ष रखा गया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– छोटा बेतौना के अन्तर्गत है। जो खासमहल क्षेत्र है, परन्तु विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा से यह भी स्पष्ट है कि पुनग्रहण किये जाने वाले भूमि विपक्षीगण के पूर्वजों के नाम से है। जिसका लगान रसीद भी दाखिल किया गया है, पर वर्त्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण उपरोक्त भूमि पर नहीं

की ... एवं ...थि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प... की गई... कार्यवाही

किया जा रहा है। उक्त वर्णित भूमि को पुनग्रहण से मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत विपक्षीगण के कारणपृच्छा को स्वीकार करते हुए उपरोक्त वर्णित भूमि को पुनग्रहण से इस शर्त मुक्त किया जाता है कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची के ज्ञाांक– 7/खा म0 (अध्ययन यात्रा)–03/19 3586/रा0, राँची, दिनांक– 23.09.2019 के द्वारा खासमहल भूमि को Freehold करने का आदेश के अनुपालन करते हुए समय सीमा के अन्तर्गत आवेदन दाखिल करेगें। आदेश की प्रति खासमहल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज को भेजे। पारित आदेश से विपक्षी को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
साहेबगंज।

उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 12:44:24 +05:30
Location: 192.168.29.209